लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 10/ 2022
GCMS NO. : 2022/44

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री शमीम खां पठान पुत्र श्री अमानत खां पठान, निवासी– 26 रामपुरा मेन रोड, भगवती किराणा स्टोर के पास उदयपुर (राज.)	बनाम	1. अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा 2. प्रभारी अधिकारी, जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 22–06–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी जिला कलक्टर (भू. अ.) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 20.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर अधुरी सूचना उपलब्ध कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 09.06.2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 22.06.2022 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी प्रभारी अधिकारी, जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) बांसवाडा उपस्थित हुए। अपीलांट ने कथन किया कि उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2022 के बिन्दु सं. 1, 2, 8 से 15 तक में चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई है।

उपस्थित प्रत्यर्थी ने पत्रांक 3156–58 दिनांक 21.06.2022 संलग्न अपील के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलांट को कार्यालय द्वारा पत्रांक 2373–2374 दिनांक 11.05.2022 तथा 2532 दिनांक 18.05.2022 से सूचना प्रदान की गई है। प्रत्यर्थी ने कथन किया कि बिन्दु सं. 1, 3, 4, 5, 7, 8, के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु सं. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के तहत रेकार्ड जीर्ण शीर्ण होने/ वांछित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने/ तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल का अभिलेख नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है, जिस हेतु अपीलांट को सूचित किया गया है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2022 तथा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 3156–58 दिनांक 21.06.2022 से प्रस्तुत जवाब तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा 15 बिन्दुओ पर चाही सूचना में 1, 3, 4, 5, 7, 8, के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध करा दी गई है, शेष बिन्दु सं. 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के तहत रेकार्ड जीर्ण– शीर्ण होने/ वांछित रेकार्ड उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को अवगत कराया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है।" चूंकि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:46 IST
Reason: SelfAttested